

वाराणसी नगर निगम, वाराणसी

कार्यालय—वरुणापार जोन

सम्मानित भवन स्वामी अपने अनावासीय (व्यवसायिक) भवन के गृहकर की
गणना आसान, सरल एवं पारदर्शी प्रकार से निम्नानुसार स्वयं करें

- सर्वप्रथम अपने अनावासीय भवन का आच्छादित क्षेत्रफल लें।
- अपने अनावासीय भवन की श्रेणी एवं गुणांक (सूची के अनुसार निर्धारित करें)

अनुसूची

श्रेणी	सम्पत्ति का विवरण	गुणांक
1	(1) प्रत्येक प्रकार के वाणिज्यिक काम्प्लेक्स, बाजारों में स्थित दुकानें, टेण्ट हाउस, भवन निर्माण सामग्रियों की दुकानें और बैंक, बैंक ए.टी.एम., वित्तीय कम्पनियों तथा गैर सरकारी कोर्चिंग सेण्टर। (2) आवासीय क्षेत्र में चाय, दूध, ब्रेड, अपडॉ, पान, धोबी / लापट्टी फलों और सजियों, फोटोस्टेट, नाई / हेयर ड्रेसर और दर्जी की दुकानों के रूप में प्रयोग की जा रही अधिकतम 120 वर्ग फीट क्षेत्रफल की दुकानें। (दिनांक-11 सितम्बर, 2019 से प्रभावी है)	5 1.5
2	प्रत्येक प्रकार के क्लीनिक, पालीक्लीनिक, डायग्नोस्टिक केन्द्र, प्रयोगशालाएं, नर्सिंग होम, चिकित्सालय, मेडिकल स्टोर और स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र आदि।	3
3	क्रीड़ा केन्द्र यथा जिम, शारीरिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि और थियेटर तथा सिनेमागृह	2
4	छात्रावास और शैक्षणिक संस्थान, जो अधिनियम कर धारा 177 के खण्ड (ग) के अधीन नहीं है।	1
5	पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी डिपो और गोदाम आदि	3
6	माल्स, चार सितारा और उससे ऊपर के होटल, पब्स, बार, वासगृह जहाँ भोजन के साथ मदिरा भी परोसी जाती है।	6
7	सामुदायिक भवन, कल्याण मण्डप, विवाह क्लब और इसी प्रकार के भवन	3
8	औद्योगिक इकाईयां, सरकारी अर्द्धसरकारी और सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय	3
9	टावर और होर्डिंग वाले भवन, टी.वी. टावर, दूरसंचार टावर या कोई अन्य टावर जो भवन की सतह पर या खुले स्थान पर प्रतिस्थित किये जाते हैं।	4
10	अन्य प्रकार के अनावासिक भवन जो उपर्युक्त श्रेणियों में उल्लिखित नहीं है।	3

3. प्रति वर्ग फुट मासिक किराया दर (सूची के अनुसार) निर्धारित करें।

क्र0 सं0	कक्ष सं0 पुराना	जोन/ वार्ड	पार्श्व वार्ड पुराना	24 मी0 से अधिक चौड़े मार्ग पर स्थित भवन			12 से 24 मी0 तक चौड़े मार्ग पर स्थित भवन			12 मी0 से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भवन			आवासीय भूखण्ड जिसमें भवन न बना हो		
				आर. सी. सी / आर. बी. छत सहित पक्का भवन	अन्य पक्का निर्मित भवन	अन्य कच्चा निर्मित भवन	आर.सी. सी / आर.बी. छत सहित पक्का भवन	अन्य पक्का निर्मित भवन	अन्य कच्चा निर्मित भवन	आर. सी. सी / आर. बी. छत सहित पक्का भवन	अन्य पक्का निर्मित भवन	अन्य कच्चा निर्मित भवन	24 मी0 से 24 मी0 तक चौड़े मार्ग पर	12 मी0 से 24 मी0 तक चौड़े मार्ग पर	12 मी0 से कम चौड़ी वाले मार्ग पर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	शिवपुर	इन्द्रपुर	1.4	0.95	0.5	0.95	0.8	0.2	0.65	0.5	0.3	0.3	0.2	0.15
2	4	शिवपुर	नरायणपुर	1.4	0.95	0.5	0.95	0.8	0.2	0.65	0.5	0.3	0.3	0.2	0.05
3	5	सिकरौल / शिवपुर	तरना	1.4	0.95	0.5	0.95	0.8	0.2	0.65	0.5	0.3	0.3	0.2	0.05
4	6	सिकरौल	नदेसर	1.7	1.55	0.65	1.55	1.4	0.5	1.25	0.95	0.35	0.35	0.3	0.15
5	7	सारनाथ	पहड़िया	1.65	1.4	0.6	1.1	0.65	0.35	0.95	0.5	0.3	0.35	0.3	0.15
6	19	सिकरौल	घौसाबाद	1.65	1.4	0.6	1.1	0.8	0.35	1.05	0.5	0.3	0.35	0.3	0.15
7	20	सिकरौल / सारनाथ	रमरेपुर	1.4	1.25	0.6	0.95	0.65	0.35	0.9	0.5	0.3	0.35	0.3	0.15
8	21	सिकरौल	सिकरौल	1.7	1.55	0.65	1.4	1.25	0.5	1.1	0.95	0.35	0.35	0.3	0.15
9	23	सिकरौल / सारनाथ	टकटकपुर	1.4	0.95	0.35	0.95	0.8	0.35	0.65	0.5	0.3	0.2	0.15	0.05
10	25	सारनाथ	मवईया	1.4	0.95	0.5	0.95	0.8	0.2	0.65	0.5	0.3	0.3	0.2	0.05
11	27	सारनाथ	सारनाथ	1.4	0.95	0.5	0.95	0.8	0.2	0.65	0.45	0.2	0.3	0.2	0.05
12	38	सिकरौल	सरसौली	1.55	1.4	0.6	1.4	0.95	0.45	1.05	0.65	0.35	0.35	0.3	0.15
13	51	सिकरौल	राजा बाजार	1.55	1.4	0.6	1.4	0.95	0.45	1.05	0.65	0.35	0.35	0.3	0.15
14	61	सिकरौल	हुकुलगंज	1.55	1.4	0.6	1.1	0.65	0.35	1.05	0.35	0.3	0.35	0.3	0.15
15	73	सिकरौल / शिवपुर	शिवपुर	1.4	1.25	0.6	1.1	0.65	0.35	1.05	0.5	0.3	0.35	0.3	0.15
16	79	सिकरौल / सारनाथ	नई बस्ती	1.55	0.95	0.5	0.95	0.8	0.2	0.65	0.5	0.3	0.3	0.2	0.05
17	82	सिकरौल	पहाड़पुर	1.4	0.95	0.5	0.95	0.8	0.2	0.65	0.5	0.3	0.3	0.2	0.05
18	84	सिकरौल	खजुरी	1.7	1.4	0.65	1.4	1.25	0.5	1.1	0.95	0.35	0.35	0.3	0.15

4. अपने भवन की गणना (वार्षिक मूल्यांकन) निम्न प्रकार से निकालें।

$$\text{वार्षिक मूल्यांकन} = (\text{विन्दु संख्या 1}) \times (\text{विन्दु संख्या 2}) \times (\text{विन्दु संख्या 3}) \times 12$$

सामान्य कर (गृहकर)— वार्षिक मूल्यांकन रु. 50000.00 होने तक सामान्य कर (गृहकर) 10 प्रतिशत होगा। वार्षिक मूल्यांकन रु. 50000.00 से अधिक होने पर सामान्य कर (गृहकर) 15 प्रतिशत होगा।

नोट:—भवन में भगर्भ जल प्रणाली/ जल संचयन/ हरियाली 40 प्रतिशत/ समुचित पार्किंग/ प्रदूषण रोधी उपाय होने पर वार्षिक मूल्यांकन में 2 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी, तथा ये सुविधाएं नहीं होने पर वार्षिक मूल्यांकन में 2 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

5. भवन स्वामी स्वकर प्रपत्र “ग” फार्म अपने जोनल कार्यालय से प्राप्त करें या नगर निगम वाराणसी की वेबसाइट से डाउनलोड करें।

6. अपने भवन का गृहकर निम्नलिखित माध्यमों से जर्मों करें:—

- (क) कोई भी भवन स्वामी अपने भवन का गृहकर किसी भी जोन के कम्प्यूटरीकृत टैक्स कलेक्शन काउन्टर पर जमा कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। अथवा.....
- (ख) नगर निगम, वाराणसी के क्षेत्रीय कर निरीक्षकों को दी गई Mpos Device के माध्यम से घर पर ही जमा करके रसीद प्राप्त करें। अथवा.....
- (ग) अपने भवन का गृहकर आनलाईन नगर निगम वाराणसी की वेबसाइट www.nnvns.org के माध्यम से जमा कर सकते हैं।

7. भवन कर के किसी भी समस्या, सुझाव या शिकायत के लिए नगर निगम मुख्यालय स्थित निम्नलिखित नम्बरों पर की जा सकती है। प्राप्त शिकायतों का उच्च स्तर पर नियमित अनुश्रवण करते हुए समाधान सुनिश्चित कराया जाएगा:—

क्र0सं0	नाम	पदनाम	मोबाइल नम्बर/ दूरभाष नम्बर
1	नगर निगम कन्ट्रोल रूम		0542-2221999 / 8601872659
2	श्री संदीप श्रीवास्तव	कोआर्डिनेटर, कम्प्यूटर सेल	8601872646
3	श्री सूरज सिंह	मुख्य कर निर्धारण अधिकारी	8601872662
4	श्री अनूप कुमार वाजपेयी	अपर नगर आयुक्त	9935189899

गौरांग राठी
नगर आयुक्त

मृदुला जायसवाल
महापौर

वाराणसी नगर निगम, वाराणसी
कार्यालय—कोतवाली जोन
सम्मानित भवन स्वामी अपने अनावासीय (व्यवसायिक) भवन के गृहकर की
गणना आसान, सरल एवं पारदर्शी प्रकार से निम्नानुसार स्वंय करें

1. सर्वप्रथम अपने अनावासीय भवन का आच्छादित क्षेत्रफल लें।
2. अपने अनावासीय भवन की श्रेणी एवं गुणांक (सूची के अनुसार निर्धारित करें)

अनुसूची

श्रेणी	सम्पति का विवरण	गुणांक
1	(1) प्रत्येक प्रकार के वाणिज्यिक काम्प्लेक्स, बाजारों में स्थित दुकानें, टेण्ट हाउस, भवन निर्माण सामग्रियों की दुकानें और बैंक, बैंक ए.टी.एम., वित्तीय कम्पनियों तथा गैर सरकारी कौचिंग सेण्टर। (2) आवासीय क्षेत्र में चाय, दूध, ब्रेड, अणड़ों, पान, धोबी/ लाण्ड्रिंग फलों और सज्जियों, फोटोस्टेट, नाई/ हेयर ड्रेसर और दर्जी की दुकानों के रूप में प्रयोग की जा रही अधिकतम 120 वर्ग फीट क्षेत्रफल की दुकानें। (दिनांक—11 सितम्बर, 2019 से प्रभावी है)	5 1.5
2	प्रत्येक प्रकार के क्लीनिक, पालीक्लीनिक, डायग्नोस्टिक केन्द्र, प्रयोगशालाएं, नर्सिंग होम, चिकित्सालय, मेडिकल स्टोर और स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र आदि।	3
3	क्रीड़ा केन्द्र यथा जिम, शारीरिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि और घियेटर तथा सिनेमागृह	2
4	छात्रावास और शैक्षणिक संस्थान, जो अधिनियम कर धारा 177 के खण्ड (ग) के अधीन नहीं है।	1
5	पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी डिपो और गोदाम आदि	3
6	माल्स, चार सितारा और उससे ऊपर के होटल, पब्स, बार, वासगृह जहाँ मोजन के साथ मदिरा भी परोसी जाती है।	6
7	सामुदायिक भवन, कल्याण मण्डप, विवाह क्लब और इसी प्रकार के भवन	3
8	औद्योगिक ईकाईयां, सरकारी अर्द्धसरकारी और सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय	3
9	टावर और होर्डिंग वाले भवन, टी.वी. टावर, दूरसंचार टावर या कोई अन्य टावर जो भवन की सतह पर या खुले स्थान पर प्रतिस्थित किये जाते हैं।	4
10	अन्य प्रकार के अनावासिक भवन जो उपर्युक्त श्रेणियों में उल्लिखित नहीं है।	3

3. प्रति वर्ग फुट मासिक किराया दर (सूची के अनुसार) निर्धारित करें।

क्र0 सं0	कक्ष सं0 पुराना	जोन/ वार्ड	पार्श्व वार्ड पुराना	24 मी0 से अधिक चौड़े मार्ग पर स्थित भवन	12 से 24 मी0 तक चौड़े मार्ग पर स्थित भवन			12 मी0 से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भवन			आवासीय भूखण्ड जिसमें भवन न बना हो				
				आर. सी. सी./ आर. बी. छत सहित पक्का भवन	अन्य पक्का निर्मित भवन	आर.सी. सी./ आर.बी. छत सहित पक्का भवन	अन्य पक्का निर्मित भवन	आर. सी. सी./ आर. बी. छत सहित पक्का भवन	अन्य पक्का निर्मित भवन	आर. सी. सी./ आर. बी. छत सहित पक्का भवन	अन्य पक्का निर्मित भवन	24 मी0 से 12 मी0 से 24 मी0 तक चौड़े मार्ग पर	12 मी0 से 12 मी0 से 24 मी0 तक चौड़ाई वाले मार्ग पर		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	22	कोतवाली	दारानगर	1.65	1.4	0.6	1.1	0.8	0.35	1.05	0.5	0.3	0.35	0.3	0.15
2	29	कोतवाली/ आदमपुर	बतुआबीर	1.55	1.4	0.6	1.1	0.8	0.35	1.05	0.5	0.3	0.35	0.3	0.15
3	35	चौक/ दशाश्वमेध	दशाश्वमेध	1.7	1.4	0.65	1.4	1.25	0.5	1.1	0.95	0.35	0.35	0.3	0.15
4	40	चौक/ चेतगंज	पियरीकला	1.7	1.4	0.65	1.4	1.25	0.5	1.1	0.65	0.35	0.35	0.3	0.15
5	42	कोतवाली	राजमादिर	1.55	1.4	0.6	1.4	0.95	0.45	1.05	0.6	0.35	0.35	0.3	0.15
6	44	चौक	गडवासी टोला	1.55	0.95	0.5	0.95	0.8	0.2	0.65	0.5	0.3	0.3	0.2	0.05
7	46	चौक	बैनिया	1.7	1.4	0.65	1.4	1.25	0.5	1.1	0.95	0.35	0.35	0.3	0.15
8	47	कोतवाली/ चेतगंज	ईश्वरगंगी	1.7	1.4	0.65	1.4	1.25	0.5	1.1	0.95	0.35	0.35	0.3	0.15
9	48	चौक	हड्डा	1.65	1.4	0.6	1.4	0.95	0.45	1.05	0.65	0.35	0.35	0.3	0.15
10	49	कोतवाली	मध्यमेश्वर	1.65	1.4	0.6	1.1	0.65	0.35	1.05	0.5	0.3	0.35	0.3	0.15
11	50	कोतवाली/ आदमपुर	कामेश्वर महादेव	1.55	0.95	0.5	0.95	0.8	0.2	0.65	0.5	0.3	0.3	0.2	0.05
12	52	कोतवाली	सप्त सागर	1.7	1.4	0.65	1.4	1.25	0.5	1.1	0.95	0.35	0.35	0.3	0.15
13	53	चौक/ कोतवाली	ब्रह्मनाल	1.55	0.95	0.5	0.95	0.8	0.2	0.65	0.5	0.3	0.3	0.2	0.05
14	54	चौक/ कोतवाली	गोला दीनानाथ	1.7	1.4	0.65	1.4	1.25	0.5	1.25	0.95	0.35	0.35	0.3	0.15
15	55	चौक/ दशाश्वमेध	पान दरीबा	1.7	1.4	0.65	1.4	1.25	0.5	1.25	0.95	0.35	0.35	0.3	0.15
16	69	चौक/ कोतवाली	कालभैरव	1.55	0.95	0.5	0.95	0.8	0.2	0.65	0.5	0.3	0.3	0.2	0.05
17	78	कोतवाली	कतुआपुरा	1.65	1.4	0.6	1.1	0.8	0.35	1.05	0.5	0.3	0.35	0.3	0.15

4. अपने भवन की गणना (वार्षिक मूल्यांकन) निम्न प्रकार से निकालें।

$$\text{वार्षिक मूल्यांकन} = (\text{विन्दु संख्या 1}) \times (\text{विन्दु संख्या 2}) \times (\text{विन्दु संख्या 3}) \times 12$$

सामान्य कर (गृहकर)— वार्षिक मूल्यांकन रु. 50000.00 होने तक सामान्य कर (गृहकर) 10 प्रतिशत होगा।

वार्षिक मूल्यांकन रु. 50000.00 से अधिक होने पर सामान्य कर (गृहकर) 15 प्रतिशत होगा।

नोट:—भवन में भूगर्भ जल प्रणाली/ जल संचयन/ हरियाली 40 प्रतिशत/ समुचित पार्किंग/ प्रदूषण रोधी उपाय होने पर वार्षिक मूल्यांकन में 2 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी, तथा ये सुविधाएं नहीं होने पर वार्षिक मूल्यांकन में 2 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

5. भवन स्वामी स्वकर प्रपत्र “ग” फार्म अपने जोनल कार्यालय से प्राप्त करें या नगर निगम वाराणसी की वेबसाइट से डाउनलोड करें।

6. अपने भवन का गृहकर निम्नलिखित माध्यमों से जर्मों करें—

- (क) कोई भी भवन स्वामी अपने भवन का गृहकर किसी भी जोन के कम्प्यूटरीकृत टैक्स कलेक्शन काउन्टर पर जमा कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। अथवा.....
- (ख) नगर निगम, वाराणसी के क्षेत्रीय कर निरीक्षकों को दी गई Mpos Device के माध्यम से घर पर ही जमा करके रसीद प्राप्त करें। अथवा.....
- (ग) अपने भवन का गृहकर आनलाईन नगर निगम वाराणसी की वेबसाइट www.nnvns.org के माध्यम से जमा कर सकते हैं।

7. भवन कर के किसी भी समस्या, सुझाव या शिकायत के लिए नगर निगम मुख्यालय स्थित निम्नलिखित नम्बरों पर की जा सकती है। प्राप्त शिकायतों का उच्च स्तर पर नियमित अनुश्रवण करते हुए समाधान सुनिश्चित कराया जाएगा:-

क्र0सं0	नाम	पदनाम	मोबाइल नम्बर/ दूरभाष नम्बर
1	नगर निगम कन्ट्रोल रूम		0542-2221999 / 8601872659
2	श्री संदीप श्रीवास्तव	कोआर्डिनेटर, कम्प्यूटर सेल	8601872646
3	श्री सूरज सिंह	मुख्य कर निर्धारण अधिकारी	8601872662
4	श्री अनूप कुमार वाजपेयी	अपर नगर आयुक्त	9935189899

गौरांग राठी
नगर आयुक्त

मृदुला जायसवाल
महापौर

वाराणसी नगर निगम, वाराणसी

कार्यालय—दशाश्वमेध जोन

**सम्मानित भवन स्वासी अपने अनावासीय (व्यवसायिक) भवन के गृहकर की
गणना आसान, सरल एवं पारदर्शी प्रकार से निम्नानुसार स्वयं करें**

1. सर्वप्रथम अपने अनावासीय भवन का आच्छादित क्षेत्रफल लें।
2. अपने अनावासीय भवन की श्रेणी एवं गुणांक (सूची के अनुसार निर्धारित करें)

अनुसूची

श्रेणी	सम्पत्ति का विवरण	गुणांक
1	(1) प्रत्येक प्रकार के वाणिज्यिक काम्प्लेक्स, बाजारों में स्थित दुकानें, टेण्ट हाउस, भवन निर्माण सामग्रियों की दुकानें और बैंक, बैंक ए.टी. एम., वित्तीय कम्पनियों तथा गैर सरकारी कोचिंग सेण्टर। (2) आवासीय क्षेत्र में चाय, दूध, ब्रेड, अपडों, पान, धोबी / लाण्ड्री फलों और सज्जियों, फोटोस्टेट, नाई / हेयर ड्रेसर और दर्जी की दुकानों के रूप में प्रयोग की जा रही अधिकतम 120 वर्ग फीट क्षेत्रफल की दुकानें। (दिनांक—11 सितम्बर, 2019 से प्रभावी है)	5 1.5
2	प्रत्येक प्रकार के क्लीनिक, पालीकलीनिक, डायग्नोस्टिक केन्द्र, प्रयोगशालाएं, नर्सिंग होम, चिकित्सालय, मेडिकल स्टोर और स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र आदि।	3
3	क्रीड़ा केन्द्र यथा जिम, शारीरिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि और थियेटर तथा सिनेमागृह	2
4	छात्रावास और शैक्षणिक संस्थान, जो अधिनियम कर धारा 177 के खण्ड (ग) के अधीन नहीं है।	1
5	पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी डिपो और गोदाम आदि	3
6	माल्स, चार सितारा और उससे ऊपर के होटल, पब्स, बार, वासगृह जहाँ भोजन के साथ मदिरा भी परोसी जाती है।	6
7	सामुदायिक भवन, कल्याण मण्डप, विवाह क्लब और इसी प्रकार के भवन	3
8	औद्योगिक इकाईयां, सरकारी अर्द्धसरकारी और सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय	3
9	टावर और होर्डिंग वाले भवन, टी.वी. टावर, दूरसंचार टावर या कोई अन्य टावर जो भवन की सतह पर या खुले स्थान पर प्रतिस्थित किये जाते हैं।	4
10	अन्य प्रकार के अनावासिक भवन जो उपर्युक्त श्रेणियों में उल्लिखित नहीं हैं।	3

3. प्रति वर्ग फुट मासिक किराया दर (सूची के अनुसार) निर्धारित करें।

क्र० सं०	कक्ष सं० पुराना	जोन/ वार्ड	पार्श्व वार्ड पुराना	24 मी०से अधिक चौड़े मार्ग पर स्थित भवन	12 से 24 मी०तक चौड़े मार्ग पर स्थित भवन	12 मी० से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भवन	आवासीय भूखण्ड जिसमें भवन न बना हो								
				आर. सी. सी. / आर.बी. छत सहित पक्का भवन	अन्य पक्का निर्मित भवन	अन्य कच्चा निर्मित भवन	आर. सी. सी. / आर. बी. छत सहित पक्का भवन	अन्य पक्का निर्मित भवन	अन्य कच्चा निर्मित भवन						
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1	दशाश्वमेध	लहरतारा	1.7	1.4	0.65	1.4	1.25	0.5	1.1	0.95	0.35	0.35	0.2	0.15
2	16	दशाश्वमेध	मदनपुरा	1.7	1.55	0.65	1.4	1.25	0.5	1.1	0.95	0.35	0.35	0.3	0.15
3	24	चेतगंज	सेनपुरा	1.7	1.55	0.65	1.4	1.25	0.5	1.1	0.95	0.35	0.35	0.3	0.15
4	28	दशाश्वमेध	शिवपुरा	1.65	1.25	0.5	1.05	0.8	0.5	0.8	0.65	0.35	0.35	0.3	0.15
5	32	चेतगंज	लोको छित्पुर	1.65	0.95	0.5	0.95	0.8	0.2	0.8	0.5	0.3	0.3	0.2	0.05
6	34	चेतगंज / सिकरौल	जगतगंज	1.7	1.4	0.65	1.4	1.25	0.5	1.1	0.95	0.35	0.35	0.3	0.15
7	41	दशाश्वमेध	रामापुरा	1.7	1.55	0.65	1.55	1.25	0.5	1.1	0.65	0.35	0.35	0.3	0.15
8	45	चेतगंज	काजीपुरा	1.55	0.95	0.5	0.95	0.8	0.3	0.8	0.65	0.2	0.35	0.3	0.15
9	58	चेतगंज	लल्लापुरा कलां	1.55	1.4	0.6	1.4	0.95	0.45	1.05	0.65	0.35	0.35	0.3	0.15
10	60	चेतगंज	लल्लापुरा खुर्द	1.55	1.4	0.6	1.4	0.95	0.45	1.05	0.65	0.35	0.35	0.3	0.15
11	62	चेतगंज	लहंगपुरा	1.55	0.95	0.5	0.95	0.8	0.2	0.8	0.65	0.3	0.3	0.2	0.05
12	63	दशाश्वमेध	लक्ष्मा	1.7	1.55	0.65	1.55	1.25	0.5	1.1	0.95	0.35	0.35	0.3	0.15
13	67	दशाश्वमेध / भेलपुर	बंगाली टोला	1.7	1.4	0.65	1.4	1.25	0.5	1.1	0.8	0.35	0.35	0.3	0.15
14	72	दशाश्वमेध	सिगरा	1.7	1.4	0.65	1.4	1.25	0.5	1.1	0.95	0.35	0.35	0.3	0.15
15	76	चेतगंज	सरायगोबर्धन	1.55	1.4	0.6	1.1	0.8	0.35	1.05	0.5	0.3	0.35	0.3	0.15
16	81	दशाश्वमेध	जंगमबाड़ी	1.7	1.4	0.65	1.4	1.25	0.5	1.1	0.95	0.35	0.35	0.3	0.15
17	83	चेतगंज	चेतगंज	1.7	1.4	0.65	1.4	1.25	0.5	1.1	0.95	0.35	0.35	0.3	0.15
18	87	चेतगंज	पिशाच मोचन	1.7	1.4	0.65	1.4	1.25	0.5	1.1	0.95	0.35	0.35	0.3	0.15

4. अपने भवन की गणना (वार्षिक मूल्यांकन) निम्न प्रकार से निकालें।

$$\text{वार्षिक मूल्यांकन} = (\text{विन्दु संख्या 1}) \times (\text{विन्दु संख्या 2}) \times (\text{विन्दु संख्या 3}) \times 12$$

सामान्य कर (गृहकर)— वार्षिक मूल्यांकन रु. 50000.00 होने तक सामान्य कर (गृहकर) 10 प्रतिशत होगा।

वार्षिक मूल्यांकन रु. 50000.00 से अधिक होने पर सामान्य कर (गृहकर) 15 प्रतिशत होगा।

नोट:—भवन में भूगर्भ जल प्रणाली/ जल संचयन/ हरियाली 40 प्रतिशत/ समुचित पार्किंग/ प्रदूषण रोधी उपाय होने पर वार्षिक मूल्यांकन में 2 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी, तथा ये सुविधाएं नहीं होने पर वार्षिक मूल्यांकन में 2 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

5. भवन स्वामी स्वकर प्रपत्र “ग” फार्म अपने जोनल कार्यालय से प्राप्त करें या नगर निगम वाराणसी की वेबसाइट से डाउनलोड करें।

6. अपने भवन का गृहकर निम्नलिखित माध्यमों से जमाँ करें:—

- (क) कोई भी भवन स्वामी अपने भवन का गृहकर किसी भी जोन के कम्प्यूटरीकृत टैक्स कलेक्शन काउन्टर पर जमा कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। अथवा.....
- (ख) नगर निगम, वाराणसी के क्षेत्रीय कर निरीक्षकों को दी गई Mpos Device के माध्यम से घर पर ही जमा करके रसीद प्राप्त करें। अथवा.....
- (ग) अपने भवन का गृहकर आनलाईन नगर निगम वाराणसी की वेबसाइट www.nnvns.org के माध्यम से जमा कर सकते हैं।

7. भवन कर के किसी भी समस्या, सुझाव या शिकायत के लिए नगर निगम मुख्यालय स्थित निम्नलिखित नम्बरों पर की जा सकती है। प्राप्त शिकायतों का उच्च स्तर पर नियमित अनुश्रवण करते हुए समाधान सुनिश्चित कराया जाएगा:—

क्र0सं0	नाम	पदनाम	मोबाइल नम्बर/ दूरभाष नम्बर
1	नगर निगम कन्ट्रोल रूम		0542—2221999 / 8601872659
2	श्री संदीप श्रीवास्तव	कोआर्डिनेटर, कम्प्यूटर सेल	8601872646
3	श्री सूरज सिंह	मुख्य कर निधारण अधिकारी	8601872662
4	श्री अनूप कुमार वाजपेयी	अपर नगर आयुक्त	9935189899

गौरांग राठी
नगर आयुक्त

मृदुला जायसवाल
महापौर

वाराणसी नगर निगम, वाराणसी

कार्यालय—भेलूपुर जोन

सम्मानित भवन स्वामी अपने अनावासीय (व्यवसायिक) भवन के गृहकर की
गणना आसान, सरल एवं पारदर्शी प्रकार से निम्नानुसार स्वयं करें

1. सर्वप्रथम अपने अनावासीय भवन का आच्छादित क्षेत्रफल लें।
2. अपने अनावासीय भवन की श्रेणी एवं गुणांक (सूची के अनुसार निर्धारित करें)

अनुसूची

श्रेणी	सम्पत्ति का विवरण	गुणांक
1	(1) प्रत्येक प्रकार के वाणिज्यिक काम्प्लेक्स, बाजारों में स्थित दुकानें, टेण्ट हाउस, भवन निर्माण सामग्रियों की दुकानें और बैंक, बैंक ए.टी.एम., वित्तीय कम्पनियों तथा गैर सरकारी कौचिंग सेंटर। (2) आवासीय क्षेत्र में चाय, दूध, ब्रेड, अण्डों, पान, धोबी/लाण्ड्रिंग फलों और सजियों, फोटोस्टेट, नाई/हेयर ड्रेसर और दर्जी की दुकानों के रूप में प्रयोग की जा रही अधिकतम 120 वर्ग फीट क्षेत्रफल की दुकानें। (दिनांक—11 सितम्बर, 2019 से प्रभावी हैं)	5 1.5
2	प्रत्येक प्रकार के क्लीनिक, पालीक्लीनिक, डायग्नोस्टिक केन्द्र, प्रयोगशालाएं, नर्सिंग होम, चिकित्सालय, मेडिकल स्टोर और स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र आदि।	3
3	क्रीड़ा केन्द्र यथा जिम, शारीरिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि और घियेटर तथा सिनेमागृह	2
4	छात्रावास और शैक्षणिक संस्थान, जो अधिनियम कर धारा 177 के खण्ड (ग) के अधीन नहीं हैं।	1
5	पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी डिपो और गोदाम आदि	3
6	माल्स, चार सितारा और उससे ऊपर के होटल, पब्स, बार, वासगृह जहाँ मोजन के साथ मदिरा भी परोसी जाती हैं।	6
7	सामुदायिक भवन, कल्याण मण्डप, विवाह क्लब और इसी प्रकार के भवन	3
8	औद्योगिक ईकाईयां, सरकारी अर्द्धसरकारी और सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय	3
9	टावर और होर्डिंग वाले भवन, टी.वी. टावर, दूरसंचार टावर या कोई अन्य टावर जो भवन की सतह पर या खुले स्थान पर प्रतिस्थित किये जाते हैं।	4
10	अन्य प्रकार के अनावासिक भवन जो उपर्युक्त श्रेणियों में उल्लिखित नहीं हैं।	3

3. प्रति वर्ग फुट मासिक किराया दर (सूची के अनुसार) निर्धारित करें।

क्र0 सं10	कक्ष सं0 पुराना	जोन/ वार्ड	पार्श्व वार्ड पुराना	24 मी0 से अधिक चौड़े मार्ग पर स्थित भवन			12 से 24 मी0 तक चौड़े मार्ग पर स्थित भवन			12 मी0 से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भवन			आवासीय भूखण्ड जिसमें भवन न बना हो		
				आर. सी. सी/आर.बी. छत सहित पक्का भवन	अन्य पक्का निर्मित भवन	अन्य कच्चा निर्मि- त भवन	आर.सी. सी./आर.बी. छत सहित पक्का भवन	अन्य पक्का निर्मित भवन	अन्य कच्चा निर्मित भवन	आर. सी. सी/आर. बी. छत सहित पक्का भवन	अन्य पक्का निर्मित भवन	अन्य कच्चा निर्मित भवन	24 मी0 से अधिक चौड़े मार्ग पर	12 मी0 से 24 मी0 तक चौड़े मार्ग पर	12 मी0 से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	15	भेलूपुर/ नगवां	सरायसुर्जन	1.4	0.95	0.35	0.95	0.65	0.35	0.65	0.5	0.3	0.2	0.15	0.05
2	31	भेलूपुर	खोजवां	1.4	0.95	0.35	0.95	0.65	0.35	0.65	0.5	0.3	0.2	0.15	0.05
3	37	भेलूपुर	बागहाड़ा	1.55	1.4	0.6	1.4	0.95	0.45	1.05	0.65	0.35	0.35	0.3	0.15
4	39	भेलूपुर	शिवाला	1.7	1.4	0.65	1.4	1.25	0.5	1.1	0.65	0.35	0.35	0.3	0.15
5	56	भेलूपुर	नरिया	1.7	1.4	0.65	1.4	1.25	0.5	1.25	0.95	0.35	0.35	0.3	0.15
6	57	भेलूपुर	पाण्डेय हवेली	1.7	1.55	0.65	1.4	1.25	0.5	1.25	0.95	0.35	0.35	0.3	0.15
7	64	भेलूपुर	दुर्गाकुण्ड	1.7	1.4	0.65	1.4	1.25	0.5	1.1	0.95	0.35	0.35	0.3	0.15
8	65	भेलूपुर	तुलसीपुर	1.55	1.4	0.6	1.4	0.95	0.45	0.95	0.65	0.35	0.35	0.3	0.15
9	66	भेलूपुर	तिलभाण्डेश्वर	1.7	1.4	0.65	1.4	1.25	0.5	1.1	0.8	0.35	0.35	0.3	0.15
10	68	भेलूपुर/ नगवां	सुन्दरपुर	1.4	0.95	0.5	0.95	0.8	0.2	0.65	0.5	0.3	0.3	0.2	0.05
11	70	भेलूपुर	रेवड़ी तालाब	1.7	1.55	0.65	1.4	1.25	0.5	1.1	0.95	0.35	0.35	0.3	0.15
12	71	नगवां	कर्णीदी	1.4	1.1	0.35	0.95	0.65	0.35	0.65	0.5	0.3	0.2	0.15	0.05
13	74	नगवां	विनायका	1.4	0.95	0.5	0.95	0.8	0.2	0.65	0.5	0.3	0.3	0.2	0.05
14	75	नगवां	बजरडीहा	1.4	0.95	0.35	0.95	0.65	0.35	0.65	0.5	0.3	0.2	0.15	0.05
15	77	भेलूपुर	भेलूपुर	1.7	1.4	0.65	1.4	1.25	0.5	1.1	0.95	0.35	0.35	0.3	0.15
16	85	भेलूपुर	कमच्छा	1.7	1.4	0.65	1.4	1.25	0.5	1.1	0.95	0.35	0.35	0.3	0.15
17	86	नगवां	जोल्हा	1.4	0.95	0.35	0.95	0.8	0.35	0.65	0.5	0.3	0.2	0.15	0.05
18	88	भेलूपुर	घसियारी टोला	1.55	0.95	0.6	1.1	0.8	0.35	1.05	0.5	0.3	0.35	0.3	0.15
19	89	भेलूपुर	भद्रेनी	1.55	1.4	0.6	1.1	0.8	0.35	1.05	0.5	0.3	0.35	0.3	0.15
20	90	भेलूपुर/ नगवां	नगवां	1.55	1.4	0.6	1.1	0.8	0.35	1.05	0.5	0.3	0.35	0.3	0.15

4. अपने भवन की गणना (वार्षिक मूल्यांकन) निम्न प्रकार से निकालें।

$$\text{वार्षिक मूल्यांकन} = (\text{विन्दु संख्या } 1) \times (\text{विन्दु संख्या } 2) \times (\text{विन्दु संख्या } 3) \times 12$$

सामान्य कर (गृहकर)— वार्षिक मूल्यांकन रु. 50000.00 होने तक सामान्य कर (गृहकर) 10 प्रतिशत होगा।

वार्षिक मूल्यांकन रु. 50000.00 से अधिक होने पर सामान्य कर (गृहकर) 15 प्रतिशत होगा।

नोट:—भवन में भूगर्भ जल प्रणाली/ जल संचयन/ हरियाली 40 प्रतिशत/ समुचित पार्किंग/ प्रदूषण रोधी उपाय होने पर वार्षिक मूल्यांकन में 2 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी, तथा ये सुविधाएं नहीं होने पर वार्षिक मूल्यांकन में 2 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

5. भवन स्वामी स्वकर प्रपत्र “ग” फार्म अपने जोनल कार्यालय से प्राप्त करें या नगर निगम वाराणसी की वेबसाइट से डाउनलोड करें।

6. अपने भवन का गृहकर निम्नलिखित माध्यमों से जमाँ करें:—

- (क) कोई भी भवन स्वामी अपने भवन का गृहकर किसी भी जोन के कम्प्यूटरीकृत टैक्स कलेक्शन काउन्टर पर जमा कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। अथवा.....
- (ख) नगर निगम, वाराणसी के क्षेत्रीय कर निरीक्षकों को दी गई Mpos Device के माध्यम से घर पर ही जमा करके रसीद प्राप्त करें। अथवा.....
- (ग) अपने भवन का गृहकर आनलाईन नगर निगम वाराणसी की वेबसाइट www.nnvns.org के माध्यम से जमा कर सकते हैं।

7. भवन कर के किसी भी समस्या, सुझाव या शिकायत के लिए नगर निगम मुख्यालय स्थित निम्नलिखित नम्बरों पर की जा सकती है। प्राप्त शिकायतों का उच्च स्तर पर नियमित अनुश्रवण करते हुए समाधान सुनिश्चित कराया जाएगा:—

क्र0सं0	नाम	पदनाम	मोबाइल नम्बर/ दूरभाष नम्बर
1	नगर निगम कन्ट्रोल रूम		0542—2221999 / 8601872659
2	श्री संदीप श्रीवास्तव	कोआर्डिनेटर, कम्प्यूटर सेल	8601872646
3	श्री सूरज सिंह	मुख्य कर निधारण अधिकारी	8601872662
4	श्री अनूप कुमार वाजपेयी	अपर नगर आयुक्त	9935189899

गौरांग राठी
नगर आयुक्त

मृदुला जायसवाल
महापौर

वाराणसी नगर निगम, वाराणसी

कार्यालय—आदमपुर जौन

**सम्मानित भवन स्वामी अपने अनावासीय (व्यवसायिक) भवन के गृहकर की
गणना आसान, सरल एवं पारदर्शी प्रकार से निम्नानुसार स्वयं करें**

1. सर्वप्रथम अपने अनावासीय भवन का आच्छादित क्षेत्रफल लें।
2. अपने अनावासीय भवन की श्रेणी एवं गुणांक (सूची के अनुसार निर्धारित करें)

अनुसूची

श्रेणी	सम्पत्ति का विवरण	गुणांक
1	(1) प्रत्येक प्रकार के वाणिज्यिक काम्प्लेक्स, बाजारों में स्थित दुकानें, टेण्ट हाउस, भवन निर्माण सामग्रियों की दुकानें और बैंक, बैंक ए.टी.एम., वित्तीय कम्पनियों तथा गैर सरकारी कौचिंग सेंटर। (2) आवासीय क्षेत्र में चाय, दूध, ब्रेड, अण्डों, पान, धोबी/ लाण्ड्रीं फलों और सब्जियों, फोटोस्टेट, नाई/ हेयर ड्रेसर और दर्जी की दुकानों के रूप में प्रयोग की जा रही अधिकतम 120 वर्ग फीट क्षेत्रफल की दुकानें। (दिनांक—11 सितम्बर, 2019 से प्रभावी है)	5 1.5
2	प्रत्येक प्रकार के क्लीनिक, पालीक्लीनिक, डायग्नोस्टिक केन्द्र, प्रयोगशालाएं, नर्सिंग होम, चिकित्सालय, मेडिकल स्टोर और स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र आदि।	3
3	क्रीड़ा केन्द्र यथा जिम, शारीरिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि और घियेटर तथा सिनेमागृह	2
4	छात्रावास और शैक्षणिक संस्थान, जो अधिनियम कर धारा 177 के खण्ड (ग) के अधीन नहीं हैं।	1
5	पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी डिपो और गोदाम आदि	3
6	माल्स, चार सितारा और उससे ऊपर के होटल, पब्स, बार, वासगृह जहाँ भोजन के साथ मदिरा भी परोसी जाती है।	6
7	सामुदायिक भवन, कल्याण मण्डप, विवाह क्लब और इसी प्रकार के भवन	3
8	औद्योगिक ईकाईयां, सरकारी अर्द्धसरकारी और सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय	3
9	टावर और होर्डिंग वाले भवन, टी.वी. टावर, दूरसंचार टावर या कोई अन्य टावर जो भवन की सतह पर या खुले स्थान पर प्रतिस्थित किये जाते हैं।	4
10	अन्य प्रकार के अनावासिक भवन जो उपर्युक्त श्रेणियों में उल्लिखित नहीं हैं।	3

3. प्रति वर्ग फुट मासिक किराया दर (सूची के अनुसार) निर्धारित करें।

क्र0 सं10	कक्ष सं0 पुराना	जौन/ वार्ड	पार्श्व वार्ड पुराना	24 मी0 से अधिक चौड़े मार्ग पर स्थित भवन			12 से 24 मी0 तक चौड़े मार्ग पर स्थित भवन			12 मी0 से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भवन			आवासीय भूखण्ड जिसमें भवन न बना हो		
				आर. सी. सी/ आर.बी. छत सहित पक्का भवन	अन्य पक्का निर्मित भवन	अन्य कच्चा निर्मि त भवन	आर.सी. सी./ आर.बी. छत सहित पक्का भवन	अन्य पक्का निर्मित भवन	अन्य कच्चा निर्मित भवन	आर. सी. सी/ आर. बी. छत सहित पक्का भवन	अन्य पक्का निर्मित भवन	अन्य कच्चा निर्मित भवन	24 मी0 से अधिक चौड़े मार्ग पर	12 मी0 से 24 मी0 तक चौड़े मार्ग पर	12 मी0 से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	3	आदमपुर	छित्तनपुरा	1.65	1.4	0.6	1.1	0.65	0.35	0.8	0.45	0.3	0.35	0.3	0.15
2	8	जैतपुरा	कमलगढ़ाहा	1.55	0.95	0.5	0.95	0.8	0.2	0.65	0.5	0.3	0.3	0.2	0.05
3	9	जैतपुरा	काजीसादुल्लापुरा	1.55	1.4	0.6	1.1	0.8	0.35	1.05	0.5	0.3	0.35	0.3	0.15
4	10	आदमपुर	जलालीपुरा	1.7	1.4	0.6	1.4	0.95	0.45	0.95	0.65	0.35	0.35	0.3	0.15
5	11	आदमपुर/ जैतपुरा	रसूलपुरा	1.65	1.4	0.6	1.4	0.95	0.45	0.95	0.65	0.35	0.35	0.3	0.15
6	12	आदमपुर	नवापुरा	1.65	1.4	0.6	1.4	0.95	0.45	1.05	0.65	0.35	0.35	0.3	0.15
7	13	आदमपुर	सर्रेया	1.4	0.95	0.5	0.95	0.8	0.2	0.65	0.5	0.3	0.3	0.2	0.05
8	14	जैतपुरा	अलईपुरा	1.65	1.4	0.6	1.4	0.95	0.45	0.95	0.65	0.35	0.3	0.2	0.05
9	17	आदमपुर	राजघाट	1.55	1.4	0.6	1.1	0.65	0.35	1.05	0.5	0.3	0.35	0.3	0.15
10	18	जैतपुरा	कटेहर	1.55	0.95	0.5	0.95	0.8	0.2	0.65	0.5	0.3	0.3	0.2	0.05
11	26	जैतपुरा	जैतपुरा	1.65	1.4	0.6	1.1	0.8	0.35	1.05	0.5	0.3	0.35	0.3	0.15
12	30	आदमपुर	सलेमपुर	1.4	0.95	0.35	0.95	0.65	0.35	0.65	0.5	0.3	0.2	0.15	0.05
13	33	जैतपुरा	धूपचण्डी	1.7	1.4	0.6	1.4	0.95	0.45	1.05	0.65	0.35	0.35	0.3	0.15
14	36	जैतपुरा	कमालपुरा	1.55	0.95	0.5	0.95	0.8	0.2	0.65	0.35	0.3	0.3	0.2	0.05
15	43	आदमपुर	प्रहलाद घाट	1.55	1.4	0.6	1.1	0.8	0.35	1.05	0.5	0.3	0.35	0.3	0.15
16	59	जैतपुरा	बसनिया	1.4	0.95	0.35	0.95	0.65	0.35	0.65	0.5	0.3	0.2	0.15	0.05
17	80	आदमपुर	ओंकालेश्वर	1.55	0.95	0.5	0.95	0.8	0.2	0.65	0.5	0.3	0.3	0.2	0.05

4. अपने भवन की गणना (वार्षिक मूल्यांकन) निम्न प्रकार से निकालें।

$$\text{वार्षिक मूल्यांकन} = (\text{विन्दु संख्या 1}) \times (\text{विन्दु संख्या 2}) \times (\text{विन्दु संख्या 3}) \times 12$$

सामान्य कर (गृहकर)— वार्षिक मूल्यांकन रु. 50000.00 होने तक सामान्य कर (गृहकर) 10 प्रतिशत होगा।

वार्षिक मूल्यांकन रु. 50000.00 से अधिक होने पर सामान्य कर (गृहकर) 15 प्रतिशत होगा।

नोट:—भवन में भूगर्भ जल प्रणाली/ जल संचयन/ हरियाली 40 प्रतिशत/ समुचित पार्किंग/ प्रदूषण रोधी उपाय होने पर वार्षिक मूल्यांकन में 2 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी, तथा ये सुविधाएं नहीं होने पर वार्षिक मूल्यांकन में 2 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

5. भवन स्वामी स्वकर प्रपत्र “ग” फार्म अपने जोनल कार्यालय से प्राप्त करें या नगर निगम वाराणसी की वेबसाइट से डाउनलोड करें।

6. अपने भवन का गृहकर निम्नलिखित माध्यमों से जर्मों करें—

- (क) कोई भी भवन स्वामी अपने भवन का गृहकर किसी भी जोन के कम्प्यूटरीकृत टैक्स कलेक्शन काउन्टर पर जमा कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। अथवा.....
- (ख) नगर निगम, वाराणसी के क्षेत्रीय कर निरीक्षकों को दी गई Mpos Device के माध्यम से घर पर ही जमा करके रसीद प्राप्त करें। अथवा.....
- (ग) अपने भवन का गृहकर आनलाईन नगर निगम वाराणसी की वेबसाइट www.nnvns.org के माध्यम से जमा कर सकते हैं।

7. भवन कर के किसी भी समस्या, सुझाव या शिकायत के लिए नगर निगम मुख्यालय स्थित निम्नलिखित नम्बरों पर की जा सकती है। प्राप्त शिकायतों का उच्च स्तर पर नियमित अनुश्रवण करते हुए समाधान सुनिश्चित कराया जाएगा:-

क्र0सं0	नाम	पदनाम	मोबाइल नम्बर/ दूरभाष नम्बर
1	नगर निगम कन्ट्रोल रूम		0542-2221999 / 8601872659
2	श्री संदीप श्रीवास्तव	कोआर्डिनेटर, कम्प्यूटर सेल	8601872646
3	श्री सूरज सिंह	मुख्य कर निर्धारण अधिकारी	8601872662
4	श्री अनूप कुमार वाजपेयी	अपर नगर आयुक्त	9935189899

गौरांग राठी
नगर आयुक्त

मृदुला जायसवाल
महापौर